रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2015/कार्तिक 15, 1937
No. 690] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2015/KARTIKA 15, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

सं. 21/2015- सेवा कर

सा.का.नि. 842(अ).—वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की धारा 119 की उपधारा (1) उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 15 नवम्बर, 2015 को वह तिथि निर्धारित करती है जिस दिन से स्वच्छ भारत सेस से संबंधित उक्त अधिनियम के अध्याय VI के प्रावधान प्रवृत होंगे ।

[फा. सं. 354/129/2015-टीआरयू]

के. कालिमुत्तु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2015

No. 21/2015-Service Tax

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government hereby appoints the 15th day of November, 2015 as the date with effect from which the provisions of Chapter VI of the said Act, shall come into force.

[F. No. 354/129/2015-TRU]

K. KALIMUTHU, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

सं. 22/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 843 (अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) और वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की धारा 119 की उपधारा (5) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 119 की उपधारा (2) के अधीन लगने वाले उतने स्वच्छ भारत सेस जो कि कर योग्य सेवा के कीमत पर संगणित 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस से अधिक है, से छूट देती है:

अर्थात यह स्वच्छ भारत सेस उन सेवाओं पर नहीं लगेगा जो कि वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के अंतर्गत संपूर्ण सेवा कर से मुक्त हैं तथा जिन सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन कोई भी सेवा कर लागू नहीं है ।

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2015 से प्रवृत होगी ।

[फा. सं. 354/129/2015-टीआरयू]

के. कालिमुत्तु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2015

No. 22/2015-Service Tax

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with sub-section (5) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all taxable services from payment of such amount of the Swachh Bharat Cess leviable under sub-section (2) of section 119 of the said Act, which is in excess of Swachh Bharat Cess calculated at the rate of 0.5 per cent of the value of taxable services:

Provided that Swachh Bharat Cess shall not be leviable on services which are exempt from service tax by a notification issued under sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 or otherwise not leviable to service tax under section 66B of the Finance Act, 1994.

This notification shall come into force from the 15th day of November, 2015.

[F. No. 354/129/2015-TRU]

K. KALIMUTHU, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.